

कैम्प दाखिल खरिज बाद सं०

187/80/13-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक ..... को ग्राम खुवा चौकरी में आयोजित कैम्प में  
श्री श्री देवदास सिंह  
बल्द श्री देवदास सिंह  
ग्राम खुवा चौकरी थाना खुवा चौकरी जिला पटना  
बसीका नं० 5302 दिनांक 31/5/11 के द्वारा निर्माकित जमीन का  
दाखिल खरिज के लिए अनुरोध किया है ।

जमीन का विवरण

मांजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>खुवा चौकरी</u>	<u>19</u>	<u>701</u>	<u>5582</u>	<u>00-40</u> <u>00-10</u>	<u>1.00</u>

22/5/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है । उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खरिज करने की अनुशांसा किए हैं । कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशांसा के आधार पर दाखिल खरिज .....  
..... किया जाता है ।

शुद्धि पत्र निर्गत करें ।

लेखापति

अंचलाधिकारी, पटना सदर

अंचलाधिकारी, पटना सदर